फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी श्री पूरणमल — बनाम — विपक्षी श्रीमती नानी बाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या : 90/23

क्रमांक — कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ से जवाब पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। विपक्षी संख्या 15 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 15 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी एक मात्र खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौस में विपक्षीगण की भूमि है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद रहता है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 10 से 14 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनगढंत कहे गये। प्रार्थी एवं विपक्षी के बीच कोई विवाद नहीं हैं। यदि प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाये तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनग्रस्त भूमि पर कोई विवाद नहीं बता कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में प्रार्थी खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि में पत्थरगढी कराये जाने का पूर्ण अधिकार हैं जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा। प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 198 की आराजी न. 1051, 1052 किता 2 रकबा 2.1600 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसी[illegible] भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] हो। [illegible] कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested